राजस्थान–सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) पीपाड़शहर, जिला–जोधपुर

क्रमांक/संस्थागत/ग्रा.क्षे.संप./2017/ 89 दिनांक 21-07-2017

:: संपरिवर्तन आदेश ::

प्रार्थी श्री हरि आर्दश शिक्षण संस्थान बौरून्दा, अध्यक्ष श्री गोपाराम पुत्र श्री लादूराम माली निवासी बौरून्दा तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि राजस्थान भू. राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना No.F-6(26)Rev-6/2014/33 jaipur, dated 06-10-2016 के अधिन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता हैं, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :–

1.आवेदन खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पुरा पता — श्री हरि आर्दश शिक्षण संस्थान बौरून्दा
अध्यक्ष, श्री गोपाराम पुत्र श्री लादूराम
जाति– माली
निवासी– बौरून्दा
तहसील– पीपाड़शहर
जिला– जोधपुर

2.क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य हैं :– नहीं

3.संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :–

(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/ तहसील का नामः– ग्राम बोरून्दा ग्रा.पं. बोरून्दा तहसील पीपाड़शहर

(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरे का क्षैत्रफल हैक्टर में :– खसरा नम्बर 1916/4 कुल रकबा 5.00 बीघा किस्म बारानी द्वितिय

(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षैत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षैत्रफल (हैक्टर या वर्गमीटर में) — खसरा नम्बर 1916/4 कुल रकबा 5.00 बीघा, मे से रकबा 5.00 बीघा यानि 8104.09 वर्ग मीटर

टिप्पणी :अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुवे, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न हैं। — संस्थागत प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की गई भूमि को संलग्न ब्लू प्रिन्ट नक्शे में मार्क ABCD से लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। ब्लू प्रिन्ट नक्शा इस आदेश का भाग समझा जावेगा।

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :– संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ

5. संदेय प्रिमीयम की दर :– प्रति वर्ग मीटर 5/– से 8104.09 X 5 = 40525/–
(अक्षरे चालीस हजार पांच सौ पच्चीस रूपया मात्र)

6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित कराई गयी प्रिमीयम की रकम :– 0029 भू.राजस्व राशि 40525/– चा.न. 47 जमा दिनांक 03–07–2017

7. चालान की संख्या तथा तारीख शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी रकमः– ....शून्य

8. चालान की संख्या तथा तारीख ब्याज यदि कोई हो, की जमा करायी रकमः– ....शून्य

(उपखण्ड अधिकारी)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

9. भू-संपरिवर्तन प्रभारों की रकम से 3 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क जमा :- संपरिर्वतन जमा राशि से 3 प्रतिशत = 1220/- स्टाम्प जमा = 1250/- रूपये

10. क्या आदेश नियमितीकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया हैं:- नहीं

11 अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो :- *संस्था द्वारा सड़क के मध्य बिन्दु से इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्ड/नियमानुसार निर्धारित दूरी को छोड़कर ही निर्माण कार्य किया जायेगा एवं रास्ते की भूमि पर कोई निमार्ण कार्य नहीं किया जावेगा। उक्त भूमि सड़क सीमा का भाग रहेगी।*

12.उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्ययीन होगा-

(1) उपर्युक्त अकृषित प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा ।

(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की काल अवधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता हैं तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपृहृत हो जायेगा ।

(3) नियम 4 में यथा-वर्णित भूमि उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा ।

(4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के लिए किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(5) प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि पर कच्चा एवं पक्का निर्माण नहीं किया जायेगा। रास्ते की सीमा ब्लूप्रिन्ट के अनुसार छोड़ी जायेगी तथा संपरिवर्तन नियमों की शर्तों एवं उपबन्धो की पालना करनी होगी एवं नियमों में परिवर्तन की दशा में मान्य रहेगा। तथा इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुरूप सड़क सीमा मध्य से भूमि छोड़कर ही उपयोग करेगा।

(6) संस्था द्वारा संपरिवर्तित कुल भूमि का 40 प्रतिशत क्षेत्र बच्चों की खेलकूद की व्यवस्था, पार्किंग आदि के लिए खुला छोड़ना होगा एवं पानी, बिजली की आधारभूत सुविधाएं स्वयं के द्वारा करनी होगी।

विहित प्राधिकारी की मोहर

(रिछपालसिंह बुरड़क)
विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

क्रमांक/ग्रा.से.सप/.../2017/ 90-94 दिनांक 21-07-2017

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैं :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर की सेवा में सूचनार्थ सादर प्रेषित हैं।
2. ग्राम पंचायत बोरून्दा पंचायत समिति पीपाड़शहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैं।
3. आवेदक श्री हरि आर्दश शिक्षण संस्थान बौरून्दा, अध्यक्ष श्री गोपाराम पुत्र श्री लादूराम माली निवासी बौरून्दा तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ दी जाती हैं।
4. तहसीलदार तहसील पीपाड़शहर को दी जाकर लेख हैं कि संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की गयी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोट इस कार्यालय में अविलम्ब प्रस्तुत करें. ।
5. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील पीपाड़शहर को सूचनार्थ दी जाती हैं।

विहित प्राधिकारी की मोहर

(रिछपालसिंह बुरड़क)
विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार, पीपाड़ शहर
जिला-जोधपुर (राज०)

30.6.17

बोरुन्दा

C.S.

विकास अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

अध्यक्ष / सचिव
श्री हरि आदर्श शिक्षण संस्थान
बोरून्दा, जि. जोधपुर (राज

JETHA RAM PARIHAR
DRAFTS - MAN
Pipar City (Jodhpur)
Mob. 98298 34425

विकास अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner